बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 43 / 2022-832

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, गया

पटना 14, दिनांक– 28/11/2023

विषय – गया जिलान्तर्गत NH-120 (गया बाईपास) 92.935–99.685 कि०मी० पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 25.65 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/148281/2021/1324 दिनांक 04.08.2023 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 1143 (अनु0) दिनांक 14.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/ BR/ ROAD/ 148281/2021/ 1324 दिनांक 04.08.2023 द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 25.65 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर दो भागों (भाग–A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 674 दिनांक 19.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में रू. 1,07,02,575 / – एवं NPV मद में रू. 2,45,67,057 / – अर्थात कुल रू० 3,52,69,632 / – (रूपये तीन करोड़ बावन लाख उनहतर हजार छः सौ बत्तीस) मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपत शर्त्तो का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। आपके कार्यालय पत्रांक 1143 (अनु0) दिनांक 14.11.2023 द्वारा मांग की गयी राशि जमा कराते हुए कार्यादेश की मांग की गयी है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 674 दिनांक 19.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में रू. 1,07,02,575 / – की मांग की गयी थी, जिसका आकलन रू० 388 प्रति मानव दिवस के आधार पर किया गया था। वर्त्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रू0 395 प्रति मानव दिवस है।

4. वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 1,08,95,663 / – (रूपये एक करोड़ आठ लाख पनचानवें हजार छः सौ तिरेसठ) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वनरोपण मद हेतु रू. 1,08,95,663.00 (–) आपके द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में जमा की गयी राशि रू. 1,07,02,575.00 अर्थात अंतर की राशि रू. 1,93,088.00 मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराने की आवश्यकता है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 395/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

5. **उपर्युक्त CA मद की अंतर की राशि रू. 1,93,088/– (रूपये एक लाख तिरानवें हजार अठ्ठासी) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–8 शर्त्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–10 शर्त्तों का संशोधित अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

28.11.17

(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।